19-4-2023	पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल प्रकाश पुत्र संजय कुमार उर्फ सुरतलालत्र, जाति– हीरागर, निवासी– विष्णु धर्मशाला के पास, आबूरोड़, पुलिस थाना आबूरोड़ शहर उपस्थित। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश मेघवाल उपस्थित। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी व गैरसायल को सुना गया। सहायक अभियोजन अधिकारी ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसालय को सिरोही जिले से छः माह की अवधि के लिये निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल वर्तमान में मजदूरी करके जीवन यापन कर रहा है। वह अब किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य में संलिप्त नही है। गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 12.1.2023 के बाद कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। गैरसायल ने कभी भी शांति भंग नही की है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे। .....लगातार	प्रकाश

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:09:55 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल प्रकाश पुत्र संजय कुमार उर्फ सुरतलाल, जाति– हीरागर, निवासी– विष्णु धर्मशाला के पास, आबूरोड़, जिला– सिरोही के विरुद्ध पुलिस थाना, आबूरोड़ शहर में धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत अपराध संख्या 170 दिनांक 10.8.202 व अपराध संख्या 13 दिनांक 12.1.2023 को दर्ज हुये। गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश की धारा 13 के तहत दर्ज मुकदमों में बाद अनुसंधान संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराया गया है। अपराध संख्याः 170 दिनांक 10.8.2022 व अपराध संख्या 13 दिनांक 12.1.2023 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां एवं आरोप पत्रों की छाया प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त अपराध संख्या 170 दिनांक 10.8.2022 व अपराध संख्या 13 दिनांक 12.1.2023 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 07.9.2022 व 14.2.2023 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(III) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है, किन्तु दिनांक 12.1.2023 के बाद गैरसायल के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुऐ गैरसायल प्रकाश पुत्र संजय कुमार उर्फ सुरतलाल, जाति– हीरागर, निवासी– विष्णु धर्मशाला के पास, आबूरोड़, पुलिस थाना आबूरोड़ शहर को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 15 दिन की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, आबूरोड़ शहर से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के पुलिस थाना क्षेत्र, आबूरोड की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस–पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक श[illegible] फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा निर्णय [illegible]नाधिकारी, पुलिस थाना, आबूरोड़ शहर को [illegible] (के.आर.खोड) [illegible] जिला मजिस्ट्रेट [illegible]रोही–307001	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:09:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय [illegible] जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)